


राजीद दस्तावेज इमोर्श

मुकाम 82

दस्तावेज की तक्षीकतारी व कोमत या
दस्तावत की तारीख या किसी भी सौहरन्द
विकापा लिया गया हो चितके बाबत कोई
शार्चिक हुई हो उसके कारण लिखी हुई

तारीख (अग्रर हो तो) राष्ट्रक भूमा	राजिस्ट्री के सौहरन्द के छाटे दस्तावत
3	4

5) १५६	१५९६
२०२२/	१८६२/
२१६००२/	
.....	१८७५



॥ श्री ॥

स्टाम्प डूटी रु.	16100.00	नि.मू. 214000/-
कारपो डूटी रु.	8560.00	
पचासत डूटी रु.	2140.00	
कुल रु.	26800.00	

मुनिसिपल कारपोरेशन सीमा के अन्तर्गत प्लाट नं. 116 विद्यानगर इन्दौर पर
निर्माणाधीन भवन पैकि तल मंजिल का प्रकोष्ठ कुमाक जी-2 जो कि स्फ़वर
तक निश्चित है तथा जिसका सु.बिल्टप एरिया 974.00 वर्गफीट है का विक्रय पत्र

विक्रय मूल्य रुपये 180200/-

यह विक्रय लेख आज दिनांक 17-4-97 को श्री मनज्योति गृह
निर्माण सहकारी संस्था निर्माण सहकारी संस्था
जिसका पंजीयन स.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन्
1961) के तहसमय प्रबलित प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त अधिनियम की धारा 7
के प्रावधानों के आधीन पंजीयन कुमाक डी.आर./आय.डी.आर./५७५ पर दिनांक
12-४-९४ को हुआ है) पता 161 जय जगत कालोनी इन्दौर तरफे अद्यक्ष श्री
प्रदीप कुमार पिता श्री हीरानन्दजी गुरतानी निवासी 161 जय जगत कालोनी

--2--

श्रीमद्भूषण
मनज्योति गृह
निर्माण सहकारी संस्था
तेल्हा सहकारी संस्था, इन्दौर



१२४

इन्दौर म.प्र. (जिन्हें वर्तमान लेख में सुविधा की दृष्टि से "विक्रेता संस्था प्रथमपक्ष" इस नाम से संबोधित किया जा रहा है जिसमें इन्होंके समस्त निष्पादक, असाइनिज, प्रशासक, पदाधिकारीमण एवं हितबन्ध व्यक्ति समिलित हैं) के एवं श्री पुल्लोल्तम पिता श्री मदनलालजी गुप्ता निवासी ३३/१२ मुराई गोहल्ला इन्दौर म.प्र. (जिन्हें वर्तमान विक्रय लेख में सुविधा की दृष्टि से "क्रेता द्वितीय पक्ष" शब्द से संबोधित किया जा रहा है जिसमें इन्होंके समस्त निष्पादक, असाइनिज, प्रशासक, वैध उत्तराधिकारी एवं समस्त हितबन्ध व्यक्ति आदि का समावेश है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों एवं दायित्वों के आधिन लिखा जा रहा है ऐसा कि :-

1. यह कि, प्रथम पक्ष संस्था का मुख्य कार्य अपने सदस्यों की आवास समस्या डल करने हेतु स्फूर्ति प्रक्रिया का निर्माण कर अपने सदस्यों को अंतरित करना है। प्रथमपक्ष एक पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी संस्था होकर अपने उद्दम्बन से आज दिनांक तक निरंतर कार्यरत है।
2. यह कि, द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष संस्था के नियमित सदस्य होकर सदस्यता क्रामाक है।

~~1342~~
~~12.4.41~~

218361



A salungmado Elangzam
No 16144676 9256

Bala ↪
H. M. D. R.


A salungmado Elangzam
No 16144676 9256

R-9

180.200/ P. 200/ (1000) 200/ 200

1

W. T. L.



* 3 *

3. यह कि, प्रथमपक्ष संस्था के मालकी एवं आधिपत्य का एक निर्माणाधीन प्रकोष्ठ भवन जिसका प्लाट क्रमांक 116 विद्यानगर इन्दौर पर शिस्त होकर सदर भूखण्ड की लेबाई 67.5 फीट तथा चौड़ाई 54 फीट होकर इसका कुल क्षेत्रफल 3645 वर्गफीट है। सदर संपत्ति पैकि भूखण्ड प्रथम पक्ष ने बजर्ये रजि. विक्रय लेख क्रमांक 13/3115 दिनांक 26.12.95 के द्वारा क्रय किया होकर तत्पश्चात इन्दौर नगर निगम से खीकृत मानचित्र क्रमांक 4750 दिनांक 16-2-96 के अनुसार सदर प्लाट पर प्रकोष्ठ भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। सदर भवन का स्वरूपरत्ति कार्य हो चुका है।

4. यह कि, प्रथमपक्ष ने म.प्र.प्रकोष्ठ महरवामिल्व भवन अधिनियम 1976 की धारा 2 के अंतर्गत सदर भवन का धोषणा-पत्र श्रीमान उपर्याजीयक महोदय, इन्दौर के कार्यालय दस्तावेज क्रमांक 13/2205 दिनांक 20-9-96 के द्वारा पंजीकृत करा लिया है।

5. यह कि, द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष द्वारा निर्माणाधीन उक्त भवन में से एक स्वरूपरत्ति प्रकोष्ठ क्रमांक जी-2 जो कि तल मंजिल पर स्थित है को खरीदने की इच्छा जाहिर करने से प्रथम पक्ष द्वारा खीकृती देने पर यह बिक्रीखुत लिखा जा रहा है।

6. अतः इस विक्रय लेख द्वारा निम्न लिखित शर्तों पर यदर निर्माणाधीन भवन में से उपरोक्त स्वरूपरत्ति प्रकोष्ठ का बिक्रीखुत प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के हित में इस प्रकार लिखा जाता है।

1343
✓ 24-9-97

AI 40305




2 - मुद्राना दाता १९९७-९८-३३७२
५२ लिपि वा २५

१) लिपि वा २५

~~अंग्रेजी लिपि~~

१) मुद्राना १९९७-९८-३३७२
५२ लिपि वा २५



३४३

॥ शर्ते ॥

१. यह कि डिसीय पत्र को इस नेहरु के ज्ञारा विकाय किये जा रहे हैं एक्चरर
प्रकोष्ठ का विवरण एवं चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

विवरण :-


शहर इन्दौर के प्लाट क्रमांक 116 विद्यानगर पर निर्माणधीन भवन
पैकि प्रकोष्ठ क्रमांक जी-२ जो कि उल मैजिल पर स्थित है। तथा
जिसका सुपर बिल्टप एरिया ९७४.०० वर्गफीट है। सदर प्रकोष्ठ का
एक्चररल कार्य हो चुका होकर प्लाटरफ्लोर फिनिशिंग, टाइल्स,
दरवाजे, पिछकी, रेस-रोगन नल एवं विद्युत संयोजन का कार्य शेष है।

प्रकोष्ठ की चतुःसीमा :-

पूर्व में	:	प्लाट नं. 115
पश्चिम में	:	प्रकोष्ठ क्रमांक जी-१
उत्तर में	:	पार्किंग
दक्षिण में	:	सड़क

उक्त प्रकोष्ठ जिस मुखांड पर स्थित है उस मुखांड की चतुःसीमा :-

पूर्व	प्लाट नं. 115
पश्चिम	सड़क
उत्तर	प्लाट नं. 91
दक्षिण	सड़क




* 5 *

उपरोक्त वर्णन एवं चतुर्सीमा के बीच के सद्कचार प्रकोष्ठ को
इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से "सदर संपत्ति" के नाम से संबोधित किया
गया है।

2. यह कि उपरोक्त प्रकोष्ठ प्रथम पक्ष ने डिलिय पक्ष को कुल रुपये 188288.88 रुपये एक लाख अस्सी हजार दो सौ भात्र॑ में विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि में से भूमि की लागत राशि रुपये 35064/- प्रथम पक्ष सम्मा ने डिलीयपक्ष से पूर्व में ही प्राप्त कर ली है तथा सद्कचर निर्माण की लागत राशि रुपये 145136/- प्रथम पक्ष ने डायरेक्ट बिल्डर को दिलवा दी है। तथा अब विक्रय प्रतिफल बाबद प्रथम पक्ष को डिलीय पक्ष से कोई राशि लेना शेष नहीं है तथा सदर संपत्ति का रिक्त आधिपत्य प्रथम पक्ष ने डिलीयपक्ष की मैण्डिंग दिया है तथा अब डिलीयपक्ष सदर संपत्ति का शेष निर्माण कार्य आगे खड़े से पूर्ण करवा लेवेंगे।

3. यह कि, उपरोक्त भवन की आखरी घंजिल की छत व पार्किंग आदि पर प्रथमपक्ष का मालकी ढक्क रहेगा तथा वे अन्य किसी को भी किसी भी प्रकार से अंतरित कर गएवें व भविष्य में निर्माण की अनुमति मिलने पर निर्माण कार्य करवा गएंगे।



161

4. यह कि, तल मंजिल के सामूहिक उपयोग की जगह समस्त प्रकोष्ठ आनंद के सामूहिक उपयोग उपभोग की रहेगी। सदर भवन में आने-जाने का रास्ता, बढ़ाव, बोर्टर पेप इत्यादि पर सभी प्रकोष्ठ आनंद का सामूहिक उपयोग व उपभोग का अधिकार रहेगा। इस विकाय में छत के अधिकार समिलित नहीं है व सदर भवन के आखिरी मंजिल की खुली छत की मालकी प्रथमपक्ष की रहेगी।

5. यह कि, उपरोक्त वर्णित संपत्ति के विकाय पत्र का पंजीयन डिसीयपक्ष के हित में कर दिया होने से आज तारीख से डिसीयपक्ष सदर संपत्ति के एवार्थी बन जाये है। एवीकृत मानचित्र अनुसार ही डिसीयपक्ष सदर संपत्ति का पूर्ण निर्माण करा सकेंगे। डिसीयपक्ष सदर संपत्ति का पूर्ण निर्माण प्रथम पक्ष से या प्रथम पक्ष ड्वारा अधिकृत बिल्डर से ही करवायेंगे तथा उसके निर्माण का समस्त खर्च भी डिसीयपक्ष वहन करेंगे। इस हेतु प्रथम पक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

6. यह कि सदर भवन के सामूहिक उपयोग की जगहों का उपयोग डिसीयपक्ष अन्य आक्यूपेट्स के साथ सामूहिक रूप से कर सकेंगे तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

7. यह कि, इस विकाय लेख से म.प्र. शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 अथवा अन्य प्रबलित कानून का उल्लंघन नहीं होता है।

--? --



* 7 *

8. यह कि द्वितीयपक्ष को सदर संपत्ति के एरिया के अनुपात में प्लाट की भूमि का अनुपातिक हिस्सा पाने का अधिकार भी रहेगा। यह मालकी द्वितीयपक्ष व अन्य समस्त आनर्स के बाथ संयुक्त रूप में रहेगी।

9. यह कि, द्वितीयपक्ष को सदर संपत्ति के कालमबीमछत या दिवाले आदि तोड़ने के या उनमें कोई परिवर्तन करने के अधिकारी नहीं रहेगे। द्वितीयपक्ष ने कोई ऐसा कार्य किया जिसमें सदर भवन के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा तो इपक्षी भरपायी की संपूर्ण जवाबदारी द्वितीयपक्ष की रहेगी। इस बाबत प्रथमपक्ष का कोई उल्तर दायित्व नहीं रहेगा।

10. यह कि, सदर संपत्ति का पूर्ण निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही द्वितीयपक्ष करवायेंगे तथा इस संबंध में जो भी प्रबलित नियम कानून हैं वे नियम हैं वह द्वितीयपक्ष पर बंधनकारक रहेंगे।

11. यह कि, सदर संपत्ति संबंधी लग्ने वाले समस्त टेक्सेस, व्यय मेन्टेनेंस सोसायटी को देय डिपाजिट राशि व मासिक आनुपातिक व्यय तथा लीज की आनुपातिक राशि आदि द्वितीयपक्ष बहन करते जावेंगे।



• 8 •

12. यह कि भवन निर्माण के समय या निर्माण कार्य पुरा होने के पश्चात् शासन, इन्दौर नगर पालिका निगम, शासकीय या अर्डशासकीय संस्थाओं द्वारा जो नियम प्रबलित किये जावेंगे या भविष्य में नये नियम बनेंगे उन सभी नियमों का पालन द्वितीयपक्ष करेंगे तथा शासन द्वारा लगाया गया कोई भी भार या अधिभार हुआ तो सभी आनंद को सामृद्धिक रूप से आनुपातिक रूप से वहन करना पड़ेगा। इस बाबत प्रथमपक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

13. यह कि, द्वितीयपक्ष को सदर संपत्ति में विद्युत कनेक्शन स्वयं प.प्र.विद्युत मेंडल में डिपाजिट राशि एवं अन्य जो भी आवश्यक व्यय होंगे, जैसे पेनल बोर्ड, द्रोसफार्मर, केबल, पार्सिप आदि का व्यय अदा कर विद्युत कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करेंगे और परमानेट कनेक्शन प्राप्त होने तक जो अस्थायी विद्युत कनेक्शन का बिल आयेगा उसे प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष अन्य समस्त ओनर्स की भाँति अदा करेंगे।

14. यह कि, सभी आनंद को मिलकर एक मैट्टेनेस सोसायटी का निर्माण करना होगा और मैट्टेनेस सोसायटी द्वारा निर्धारित आवश्यक व्यवस्था शुल्क (मैट्टेनेस राशि) नियमित रूप से द्वितीयपक्ष जमा करवाते रहेंगे। इसमें अनियक्षितता बरतने पर उन्हें प्रदल्त सुविधाओं से बंदित किया जा सकेगा।

15. यह कि, सदर संपत्ति प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के सिवाय अन्य किसी को दान, गिरवी, बिक्री व क्रिस आदि द्वारा अंतरित नहीं की है तथा न ही सदर संपत्ति पर किसी के कर्ज जमानत, मैट्टेनेस, अटेचमेंट, डिक्री आदि का कोई भार है। सदर संपत्ति पूर्णतः भार रहित है।



* 9 *

15. यह कि, सदर भवन में फायर फाईटिंग इकिवपर्मेट्स लगायेजाते हैं तो उसमें होने वाले व्यय की आनुपातिक राशि डितीयपक्ष भी अन्य ओर्नर्स की मात्रा बहन करेंगे।

17. यह कि, सदर संपत्ति पर डितीयपक्ष इस विकाय-लेख के जरिये अपना नामांतरण समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय व स्थानीय कार्यालयों में करवा सकेंगे। इस हेतु प्रथमपक्ष के हस्ताक्षर उपरिथित तथा बयान आदि का पूर्ण महयोग प्रथम पक्ष, डितीयपक्ष को प्रदान करेंगे।

18. यह कि, सदर संपत्ति डितीयपक्ष झण प्राप्ति हेतु किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था आदि में गिरवी रख सकेंगे।

19. यह कि, सदर संपत्ति में अवैध विस्फोटक व दुर्गंधित वस्तु संग्रहित नहीं कर सकेंगे तथा न ही सदर संपत्ति में अवैध गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी तथा न ही प्रतिबंधित वस्तुएं रखी जा सकेंगी।

20. यह कि, डितीयपक्ष को सदर संपत्ति के अलावा भवन के अन्य किसी भी हिस्से पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहेगा। प्रथमपक्ष सदर संपत्ति को छोड़कर शेष किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का निर्माण कर उसे अन्य किसी को किसी भी प्रकार से अंतरित कर सकेंगे। सदर भवन के आखिरी मंजिल की छत की मालकी भी प्रथमपक्ष की रहेगी तथा वे उसका उपयोग व उपभोग, बिक्री आदि अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे तथा वे सदर छत पर अन्य मंजिलों का निर्माण अनुमति प्राप्त करके करवा सकेंगे। इसमें डितीयपक्ष आपलित नहीं कर सकेंगे। साथ ही प्रथमपक्ष ढारा किये जाने वाले व किये जा रहे निर्माण में डितीयपक्ष किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।

• 10 •

21. यह कि, लिंगायती सदर संप्रिति में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे सदर भवन की ओमा को कोई दासि पहुँचती हो।

22. यह कि प्रथमपक्ष ने म.प्र. प्रकोष्ठ गठस्वामित्व भवन अधिनियम 1976 के अंतर्गत धोषणा पत्र फैजीकूल करवा लिया है तथा म.प्र. प्रकोष्ठ यह गठस्वामित्व भवन अधिनियम 1976 के समस्त प्रावधान छिरीयपक्ष पर पूर्ण रूप में बदलनकारक रहेंगे।

अतः यह विकाय-लेख प्रथम पक्ष ॥ विकेता संस्था ॥ नै छिरीयपक्ष ॥ केतापक्ष ॥ के हित में, अपनी राजी खुशी से, सोच-समझकर, स्वप्नदिलतवप्ता मैं बौंगर किसी दबाव के निम्नलिखित गवाहों के समझ हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया सो गही ताकि सनद रहे व वक्त-जल्लरत काम आवे ।

इति, इन्दौर, दिनांक 12-4-1997 सही निष्पादक की,

सार्वजनिक

1. (600-800 meters) 2200 ft.

नाम फिल्मी २३ मार्च
पता संगमनगर

~~3-187000~~

नाम शिवाय रुद्राय

पता कुंडिली ज्योतिष

गुर्ही निष्पादक की,

उक्त लेख का पाठ्य में हम

वैराग्य किया गया है।

Mr. Fahy

एम.के.साह, पटुडीकोट

45 वर्षान्तमन्तरात् दुर्बलैः प्रभा

फोन : 533784532151, ॥आ॥ 64819

1280
17-4-97

2750


4

17 APR 1997

प्राप्त दोस्री शब्द
1995 का विवरण करके 11 लाख
265 11 लाख
लाख विवरण 1994 करके 283 लाख
लाख
H M Singh

इतिहास शुल्क सं
नस्तो तथा इसके लिए 1589 1857
दूसरा शुल्क सं
नस्तो तथा इसके लिए 1594 1862

H M Singh
15(4-9)



THIRD FL. PLAN

SECOND FL. PLAN

FIRST FL. PLAN

GROUND FL. PLAN

PROPOSED PLAN OF PINO. 116 AT
VIDHYA NAGAR INDORE
B TO MANJOYI GRAH NIRMAN
SAHAKARI SANTHA HARYAT



SCALE 1:100


AREA STATEMENT

PLOT AREA = 16.44 & PO. 517 R.M. 50 Sq. Mts.
P.P.E. A.U. 1/13 = 112.44 " " "
PROP. & C.U. G.P.L = 10.36 & 11.42 & 14.90
PERIMETER = 34.00 Mts. (112.44 + 112.44 + 112.44 + 112.44)
UNIT 1 ON L.R. 35.00 Mts.

PLOT & G.S. ON R.C.L. NO. 16.44 & 14.90
DEED NO. 1300 SPAN. D.G.A.N. NO. 22 & 16.44
D. S. 9.44 & 22 & 16.44
S. 14.33 & 4.22 & 16.44
T.O.T. 44.44 P.P. 37.77

HYPOTENUSE P.P. = 14.800 & 17.27 & 12.64
A. A. T.C. E. 112.44 Mts.
V. V. G. GROUND FLOOR = 112.44 Mts.
P.P. P.L. G. 112.44 Mts.
V. V. E. A. C. 106.57

2nd floor area = unknown
unplotted area = unknown
R. A. 112.44 Mts.
R. A. 112.44 Mts.



FRONT ELEVATION

SIDE ELEVATION

SECTION AT A-A

BASERA ASSO.
ARCHITECT & ENGINEER
109 PANCHALA NAGAR
P.D.T.Y. - 441001
M.C. NO. 28 A.C.W.